न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—161/2019/225 (2019/00161)

1. दुर्गासिंह पुत्र पीरू, जाति मेहरात, निवासी गांव राजियावास, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. माना पुत्र मल्ला उर्फ मला उर्फ मालाजी,
2. खीमसिंह पुत्र हुकमा,
3. श्रीमती मैणी पुत्री हुकमा,
4. श्रीमती फेफी पुत्री हुकमा,
5. श्रीमती कसूमी पुत्री हुकमा,
6. श्रीमती कमला पुत्री हुकमा,
7. भंवरसिंह पुत्र गाजीसिंह,
8. करमसिंह पुत्र गाजीसिंह,
9. लक्ष्मणसिंह पुत्र गाजीसिंह,
10. सुरेन्द्रसिंह पुत्र गाजीसिंह,
11. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री गाजीसिंह,
12. गिरधारीसिंह पुत्र पीरू,
13. श्रीमती पानी पुत्री पीरू,
14. श्रीमती भोली पुत्री पीरू,
    समस्त जाति मेहरात, निवासी गांव राजियावास, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
15. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक, तहसीलदार, ब्यावर ।
16. उप पंजीयक, ब्यावर ।
17. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 16.4.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 77/2018.

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील अपीलांट ।
2. श्री समीर अहमद खान, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 7 व 8.
3. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 12 व 13
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 15 से 17.
5. रेस्पो0 संख्या 3 से, 9 से 11, 14 अनुपस्थित ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 4.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 16.4.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम राजियावास, तहसील ब्यावर स्थित आराजी खाता संख्या नया 107 पुराना 98 के खसरा संख्या पुराना 1319 नवीन 1765 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 1766 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 14 की पुश्तैनी आराजियात चली आ रही है जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 12 से 14 के दादा नीम्बा पुत्र मेदा थे । उपरोक्त आराजी पुराना खसरा नंबर 1319 राजस्व अभिलेख जमाबंदी खतौनी संवत् 1350 फसली में भी स्व0 नीम्बा के नाम अंकित चली आती रही है । प्रार्थना पत्र में नीम्बा का सजरा अंकित कर कथन किया कि नीम्बा व उनकी पत्नि के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार उनका एकमात्र पुत्र पीरू हो गया । कालांतर में पीरू व उनकी पत्नि मूमी का भी स्वर्गवास हो चुका है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 12 से 14 पीरू के कानूनी वारिसान एवं उत्तराधिकारीगण है तथा मौके पर काबिज काश्त है । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति का विवादित आराजी से किसी तरह का कोई संबंध सरोकार नहीं है । विवादित आराजियात अविभाजित है जिसकी वजह से आये दिन प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 12 से 14 के मध्य विवाद होते रहते है। अप्रार्थी संख्या लगायत 11 के पूर्वज मल्ला पुत्र रामा की नियत खराब हो गई वह येनकेन प्रकारेण विवादित आराजी को हड़पने का प्रयास करने लग गये । इसी बदनियतिवश स्व0 मल्ला ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए उपरोक्त आराजी खसरा नंबर 1319 को राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अपने नाम पर अंकित करवा लिया । मल्ला के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त आराजी उनके वारिसान बेवा श्रीमती अन्नी व पुत्रगण अहमा, हुकमा, गाजी व अप्रार्थी संख्या 1 माना के नाम अंकित कर दी गई । तत्पश्चात् श्रीमती अन्नी, अहमा, हुकमा, गाजी का भी स्वर्गवास हो गया । तत्पश्चात् उपरोक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के नाम अंकित कर दी गई । उक्त गलत इंद्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 11 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 12 से 14 को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 16.4.2019 द्वारा प्रार्थी का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में किया गया निवेदन निरस्त कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 का प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट की पुश्तैनी भूमि जिसके साबिक खसरा नंबर 1319 थे व जिस बाबत् राजस्व अभिलेख फसली जमाबंदी संवत् 1350 में वादी के पूर्वज नीम्बा पुत्र मेदा का नाम अंकित था, जिसके हाल खसरा नंबर 1765, 1766 बने है जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु पूर्व सेटलमेंट में राजस्व कर्मचारियों की भूल से वादग्रस्त आराजी गलत व गैर कानूनी रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 से 11 के पूर्वज मल्ला पुत्र रामा के नाम तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 से 11 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दी गई जबकि वादी व उसके पूर्वज ने कभी भी आराजी अथवा कोई भी हक हिस्सा रेस्पो0 के पूर्वज को बेचान नहीं

किया था । उक्त गलत इंद्राज के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 से 11 प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है । इसलिये अधी0न्याया0 को प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक रेस्पो0 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना आवश्यक था । राजस्व रिकार्ड से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा रेस्पे0 संख्या 1 से 11 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 7 व 8 ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट ने अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है जो संधारण योग्य नहीं है । अधी0न्याया0 के समक्ष अन्य अप्रार्थीगण की तलबी शेष है। अधी0न्याया0 ने सभी पक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र में निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 से 11 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने दिनांक 4.9.2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये । आदेशिका दिनांक 22.10.2018 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 12 व 13 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 2, 7, 8 व 10 पूर्व में उपस्थित रहे जिन्हें जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 6, 9, 11 व 14 के नोटिस भाई द्वारा प्राप्त करने की रिपोर्ट प्राप्त होने से मान्य नहीं होने के कारण वकील प्रार्थी को तीन दिवस में पुनः नोटिस पेश करने की हिदायत दी गई । दिनांक 16.4.2019 को वकील अप्रार्थी ने ओदश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई गई तथा वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। अधी0न्याया0 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक तक कई पक्षकारान की तलबी शेष थी । अधी0न्याया0 ने समस्त पक्षकारान की तलबी व जवाब प्रार्थना पत्र उपरांत सुनवाई कर निर्णय पारित करने के आदेश पारित कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना अस्वीकार कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.5.2019 नियत की है । अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिका से स्पष्ट है कि मूल प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश विधिक प्रकिया का हिस्सा है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धार 212 राज0काश्त0अधि0 को उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर 30 दिवस में निर्णित करे ।

7. उपरोक्तानुसार अपील निर्णित की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे शेष अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण कराकर उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 4.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर